

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला-भीलवाड़ा (राज0)
पीढ़ासीन अधिकारी-रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-360/17 राजस्व वाद

1. श्री अमर सिंह पिता श्री सवाई सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा
—वादी

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पिता सवाई सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।
2. श्री अमरसिंह पिता सवाई सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जसिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत अंतर्गत धारा 53 राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित-

1- श्री सत्यनारायण सोमानी

अधिवक्ता-वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 26.06.2018

तहसीलदार करेडा से प्रारम्भिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रकरण में बहस समाहित की गई। तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार फसकारों के मध्य रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(1) खातेदार का नाम- अमरसिंह पिता सवाई सिंह राजपूत सा0देह खातेदार रहन एस0बी0बी0जे बेमाली

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	1094	2.03 बीघा	-	-
2	1093	1.14 बीघा	-	-
3	1095	0.01 बीघा	-	-
4	1099	1.04 बीघा	-	-
5	3690/705	0.07 बीघा	-	-
कुल किता	05	रकबा 5.09 बीघा	-	-

(2) खातेदार का नाम- भंवरसिंह पिता सवाई सिंह राजपूत सा0 देह खातेदार


क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	1095/1	2.06 बीघा	-	-
2	1096	0.16 बीघा	-	-
3	1093/1	0.12 बीघा	-	-
4	1097	1.03 बीघा	-	-
5	1098	0.04 बीघा	-	-
6	3690/(705/1)	0.07 बीघा	-	-
कुल किता	06	रकबा 5.08 बीघा	-	-

(3) सामलाती पूर्ववत

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	2341	0.02 बीघा	-	-
कुल किता	01	0.02 बीघा	-	-

उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना-अपना वहन करे।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(रजनी माधीवाल)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाड़ा

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0वी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

प्र0सं0 360/17 राजस्व वाद

अनवान प्रकरण

1. श्री अमर सिंह पिता श्री सवाई सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
—वादी

बनाम

1. श्री भवरसिंह पिता सवाई सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
2. श्री अमरसिंह पिता सवाई सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 सा0टि0ए0 1955 दिनांक - 26.06.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कर्तई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री सत्यनारायण सोमाणी मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि कि डिक्की दी जाती है कि घाम बेमाली पटवार हल्का बेमाली, तहसील करेडा के नीचे लिखित आराजियात का निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य विभाजन किया जाकर उनके नाम राजस्व रेकार्ड में अकन एव नक्शे में तरमीन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(1) खातेदार का नाम- अमरसिंह पिता सवाई सिंह राजपूत सा0देह खातेदार रहन एस0बी0बी0जे बेमाली

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	1094	2.03 बीघा	-	-
2	1093	1.14 बीघा	-	-
3	1095	0.01 बीघा	-	-
4	1099	1.04 बीघा	-	-
5	3690/705	0.07 बीघा	-	-
कुल कित्ता	05	रकबा 5.09 बीघा	-	-


(2) खातेदार का नाम- भवरसिंह पिता सवाई सिंह राजपूत सा0 देह खातेदार

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	1095/1	2.06 बीघा	-	-
2	1096	0.16 बीघा	-	-
3	1093/1	0.12 बीघा	-	-
4	1097	1.03 बीघा	-	-
5	1098	0.04 बीघा	-	-
6	3690/(705/1)	0.07 बीघा	-	-
कुल कित्ता	06	रकबा 5.08 बीघा	-	-

(3) सामलाती पूर्ववत

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	2341	0.02 बीघा	-	-
कुल कित्ता	01	0.02 बीघा	-	-

आज तारीख 26.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


 (रजनी माधीवाल)
 आर.ए.एस.
 उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
 करेडा जिला भीलवाडा